



कार्यालय – वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग

☎ 06546-222339, Email- [dfo.hazaribaghwest@rediffmail.com](mailto:dfo.hazaribaghwest@rediffmail.com) & [dfo-hazaribaghwest@gov.in](mailto:dfo-hazaribaghwest@gov.in)

पत्रांक:

दिनांक:

सेवा में,

वन संरक्षक,  
प्रादेशिक अंचल,  
हजारीबाग।

विषय:— गोन्दुलपारा कोल खनन परियोजना हेतु 219.80 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/MIN/139492/2021) के संबंध में।

प्रसंग:— प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड रांची का ज्ञापांक 342 दिनांक 24.04.2026 एवं आपका ज्ञापांक 706 दिनांक 29.04.2026।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक F.N. 8-11/2025-FC दिनांक 10.11.2025 की गई पृच्छा का अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्रांक 374 दिनांक 03.02.2026 एवं पत्रांक 2091 दिनांक 04.04.2026 द्वारा समर्पित की गई थी।

पुनः प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का ज्ञापांक 342 दिनांक 24.04.2026 द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा की गई पृच्छा का बिन्दु संख्या-12 (C) पर पूर्ण प्रतिवेदन की मांग करते हुए प्रस्ताव को ऑनलाईन वापस की गई है।

Non-Forestry Activities के संबंध की गई पृच्छा से संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी, बड़कागांव प्रक्षेत्र से स्थलीय जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया (छायाप्रति संलग्न), जिसपर अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य प्रतिवेदन निम्नवत है:-

1. मौजा गाली एवं बलोदर के अधिसूचित एवं सीमांकित वनभूमि में कच्चा सड़क पाया गया, जिस मार्ग से वन विभाग एवं ग्रामीणों द्वारा उपयोग किया जा रहा है।
2. मौजा के वनभूमि के अंतर्गत कुछ क्षेत्र से ईट निर्माण के लिये मिट्टी का अवैध उत्खनन कर कच्चा ईट तैयार किया गया है। परन्तु चिमनी भट्टा वनसीमा से बाहर है एवं ग्राम गाली में एक पक्का मकान लगभग 4000 वर्गफुट में बना हुआ है, जो सीमांकित वनभूमि से बाहर है।
3. मौजा गाली एवं बलोदर में सीमांकित वनभूमि के भीतर भूमि समतल एवं परती है, वहाँ पर कुछ ग्रामीणों द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है। यह अस्थायी प्रकृति की मौसमी खेती है एवं अवैध अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध वनवाद (कम्प्लेन केस) संख्या 202/2018, 2627/2023, 2676/2023, 2759/2023 एवं 1373/2025 दर्ज किया गया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः प्रस्ताव ऑनलाईन अग्रसारित की जा रही है।

अनुलग्नक – यथोक्त।

आपका विश्वासी

ह०/—

वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

ज्ञापांक: ...../ दिनांक ...../  
प्रतिलिपि क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई  
हेतु प्रेषित।

ह0/  
वन प्रमण्डल पदाधिकारी  
हजारीबाग पश्चिमी प्रमण्डल

ज्ञापांक: 2799.../ दिनांक 10/06/26/  
प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास  
बोर्ड, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी  
हजारीबाग पश्चिमी प्रमण्डल

9/6/26

Mam  
10-06-26

कार्यालय:- वन क्षेत्र पदाधिकारी, बड़कागाँव प्रक्षेत्र, हजारीबाग।

Email- rfobarkagaon12@gmail.com

पत्रांक - 182

दिनांक - 20/05/26

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग।

विषय:- गोन्दलपुरा कोल खनन परियोजना हेतु कोयला खनन परियोजना हेतु 219.80 हे० वनभूमि  
अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/MIN/139492/2021) के संबंध में।


प्रसंग:- आपका कार्यालय का पत्रांक 2500 दिनांक 06.05.2026

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सादर सूचित करना है कि गोन्दलपुरा कोल खनन परियोजना हेतु कोयला खनन परियोजना हेतु 219.80 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव एवं भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक F.NO. - 8-11/2025-FC दिनांक 10.11.2025 के आदेशानुसार श्री मृणाल भास्कर, प्रभारी वनपाल, जोराकाठ वन परिसर एवं श्री नीचीत कुमार महतो, प्रधान वनरक्षी द्वारा दिनांक 11.05.2026 को घटना स्थल पर जा कर जाँच किया गया, जो इस पत्र के साथ सलंगन है। जिसे मेरे द्वारा भी सत्यापित कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है। जाँच में निम्नलिखित बिन्दु पाया जो इस प्रकार है-

1. मौजा गाली एवं बलोदर के अधिसूचित एवं सीमांकित वन भूमि में कच्चा सड़क पाया, जिस मार्ग से वन विभाग और गाँव के लोगों द्वारा आवागमन होता है।
2. मौजा गाली में वन भूमि के अन्तर्गत कुछ क्षेत्र से ईट निर्माण के लिए मिट्टी का अवैध उत्खनन किया गया है। यहाँ सिर्फ मिट्टी की तैयारी एवं ढलाई कार्य किया जा रहा है। लेकिन चिमनी भट्ठा वन सीमा के बाहर है एवं ग्राम गाली में एक पक्का मकान लगभग 4000 वर्गफुट जिसका जी०पी०एस० 23°51'4.12" N 85°19'41.30" E है जो सीमांकित वनभूमि से बाहर है।
3. सीमांकित वन भूमि सीमा के भीतर मौजा गाली एवं बलोदर में जहाँ भूमि समतल एवं परती है, वहाँ पर कुछ ग्रामिणों द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है। यह अस्थायी प्रकृति की मौसमी खेती है एवं पूर्व में अवैध अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध वनवाद मुकदमा दर्ज किया गया है जो इस प्रकार है-

क्र०सं०	कम्पलेन केस संख्या	अधिसूचित वन	अभियुक्तों का नाम एवं पता	अभियुक्ति
1	202/2018	गाली	(1) देवा महतो पिता हेसराज महतो (2) करम महतो पिता कोल्हा महतो (3) अकलु महतो पिता जिवलाल महतो (4) हिरु महतो पिता चान्दो महतो सभी ग्राम- गोन्दलपुरा, थाना-बड़कागाँव, जिला- हजारीबाग	02 एकड




1915126

2	2627 / 2023	गोन्दलपुरा	(1) कृष्णा राणा पिता स्व० दशरथ राणा (2) कृष्णा यादव पिता फागुन यादव (3) मेघन महतो पिता स्व० चान्दी महतो (4) बिन्दु राणा पिता स्व० कोल्हा राणा (5) अशोक यादव पिता स्व० मुतर गोप (6) सिकन्दर महतो पिता स्व० रामदयाल महतो (7) रामचरण महतो पिता स्व० जेतु महतो सभी का ग्राम- गोन्दलपुरा, थाना-बडकागाँव, जिला- हजारीबाग	18 एकड
3	2676 / 2023	गोन्दलपुरा	(1) भीम महतो पिता स्व० खेदन महतो (2) नकुल महतो पिता स्व० खेदन महतो (3) अर्जुन महतो पिता स्व० खेदन महतो (4) बिन्देश्वर महतो पिता स्व० मिथु महतो (5) धरमनाथ दांगी पिता स्व० मिथु महतो (6) दीपक कुमार दांगी पिता स्व० मिथु महतो (7) सुलेन्द्र महतो पिता स्व० लखन महतो (8) सल्लु महतो स्व० लखन महतो (9) लल्लु महतो स्व० लखन महतो (10) रामचरण महतो पिता स्व० जेतु महतो सभी का ग्राम- गोन्दलपुरा, थाना-बडकागाँव, जिला- हजारीबाग	20 एकड
4	2759 / 2023	गोन्दलपुरा	(1) बिनोद दांगी पिता रामदयाल महतो (2) लालदेव गोप पिता स्व० मुटुर गोप (3) युगल गोप पिता स्व० मुटुर गोप (4) सहदेव गोप पिता स्व० नारायण गोप (5) कमल तुरी पिता ईश्वरी तुरी (6) रमेश तुरी पिता स्व० किसुन तुरी (7) रघु तुरी पिता स्व० किसुन तुरी (8) लिटन तुरी पिता स्व० किसुन तुरी (9) महेन्द्र यादव पिता बिसनु गोप (10) गांगो गोप पिता बिसनु गोप सभी का ग्राम- गोन्दलपुरा, थाना-बडकागाँव, जिला- हजारीबाग	22 एकड
5	1373 / 2025	गाली	विकास महतो पिता स्व० कमल महतो, ग्राम- गोन्दलपुरा, थाना-बडकागाँव, जिला- हजारीबाग	10 डी०

अतः श्रीमान को सादर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु समर्पित।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

आपका विश्वासी



वन क्षेत्र पदाधिकारी  
बडकागाँव वन प्रक्षेत्र

सेवा में,

वन क्षेत्र पदाधिकारी,  
बड़कागाँव वन प्रक्षेत्र।

विषय:- गोन्दलपुरा कोल खनन परियोजना हेतु कोयला खनन परियोजना हेतु 219.80 हे० वनभूमि  
अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/MIN/139492/2021) के संबंध में।

प्रसंग:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी का पत्रांक 2500 दिनांक 06.05.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में सादर पूर्वक सूचित करना है कि गोन्दलपुरा कोल खनन परियोजना हेतु कोयला खनन परियोजना हेतु 219.80 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव एवं भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक F.NO. - 8-11/2025-FC दिनांक 10.11.2025 के आदेशानुसार मेरे द्वार दिनांक 11.05.2026 को घटना स्थल पर जा कर किया। जाँच में निम्नलिखित बिन्दु पाया जो इस प्रकार है-

1. मौजा गाली एवं बलोदर के अधिसूचित एवं सीमांकित वन भूमि में कच्चा सड़क पाया, जिस मार्ग से वन विभाग और गाँव के लोगों द्वारा आवागमन होता है।
2. मौजा गाली में वन भूमि के अन्दर कुछ क्षेत्र में ईट निर्माण करते हुए क्षेत्र पाया गया यह कार्य अस्थायी है एवं यहाँ सिर्फ मिट्टी की तैयारी एवं ढलाई कार्य किया जाता है। लेकिन चिमनी भट्ठा वन सीमा के बाहर है।
3. सीमांकित वन भूमि सीमा के भीतर मौजा गाली एवं बलोदर में जहाँ भूमि समतल एवं परती है, वहाँ पर कुछ ग्रामिणों द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है। यह अस्थायी प्रकृति की मौसमी खेती है एवं पूर्व में अवैध अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध वनवाद मुकदमा दर्ज किया गया है, जो इस प्रकार है-

क्र०सं०	कम्पलेन केस संख्या	अधिसूचित वन	अभियुक्तों का नाम एवं पता	अभियुक्ति
1	202/2018	गाली	(1) देवा महतो पिता हेसराज महतो (2) करम महतो पिता कोल्हा महतो (3) अकलु महतो पिता जिवलाल महतो (4) हिरू महतो पिता चान्दो महतो सभी ग्राम- गोन्दलपुरा, थाना-बड़कागाँव, जिला- हजारीबाग	02 एकड़
2	2627/2023	गोन्दलपुरा	(1) कृष्णा राणा पिता स्व० दशरथ राणा (2) कृष्णा यादव पिता फागुन यादव (3) मेघन महतो पिता स्व० चान्दी महतो (4) बिन्दु राणा पिता स्व० कोल्हा राणा (5) अशोक यादव पिता स्व० मुतर गोप (6) सिकन्दर महतो पिता स्व० रामदयाल महतो (7) रामचरण महतो पिता स्व० जेतु महतो सभी का ग्राम- गोन्दलपुरा, थाना-बड़कागाँव, जिला- हजारीबाग	18 एकड़

3	2676/2023	गोन्दलपुरा	(1) भीम महतो पिता स्व खेदन महतो (2) नकुल महतो पिता स्व खेदन महतो (3) अर्जुन महतो पिता स्व खेदन महतो (4) बिन्देश्वर महतो पिता स्व मिथु महतो (5) धरमनाथ दांगी पिता स्व मिथु महतो (6) दीपक कुमार दांगी पिता स्व मिथु महतो (7) सुलेन्द्र महतो पिता स्व लखन महतो (8) सल्लु महतो स्व लखन महतो (9) लल्लु महतो स्व लखन महतो (10) रामचरण महतो पिता स्व जेतु महतो सभी का ग्राम- गोन्दलपुरा, थाना-बडकागाँव, जिला- हजारीबाग	20 एकड
4	2759/2023	गोन्दलपुरा	(1) बिनोद दांगी पिता रामदयाल महतो (2) लालदेव गोप पिता स्व मुटुर गोप (3) युगल गोप पिता स्व मुटुर गोप (4) सहदेव गोप पिता स्व नारायण गोप (5) कमल तुरी पिता ईश्वरी तुरी (6) रमेश तुरी पिता स्व किसुन तुरी (7) रघु तुरी पिता स्व किसुन तुरी (8) लिटन तुरी पिता स्व किसुन तुरी (9) महेन्द्र यादव पिता बिसनु गोप (10) गांगो गोप पिता बिसनु गोप सभी का ग्राम- गोन्दलपुरा, थाना-बडकागाँव, जिला- हजारीबाग	22 एकड
5	1373/2025	गाली	विकास महतो पिता स्व कमल महतो, ग्राम- गोन्दलपुरा, थाना-बडकागाँव, जिला- हजारीबाग	10 डी0

अतः श्रीमान को सादर सूचनार्थ एवं अग्रतर कार्रवाई करने हेतु समर्पित।

~~11/05/2026~~  
11/05/2026

प्रभारी वनपाल  
बोलाकाठ वन परिसर  
बडकागाँव वन प्रकृत

आपका विश्वासी

जीवीर कुं महतो  
प्रधान वनपाल  
वाफम स्वं हाई उप परिसर  
बडकागाँव प्रकृत  
दिनांक - 11/05/2026

कार्यालय - वन परिसर पदाधिकारी जौराकाठ वन परिसर ।

पत्रांक 17 दिनांक 12.4.2018

सेवा में,

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,  
न्यायालय, हजारीवाग ।

विषय - वन अपराध प्रतिवेदन संख्या 1038 दिनांक 11.4.2018 के तहत  
प्राथमिकी दर्ज करने के सम्बन्ध में ।

57(F) Case No. 202/18  
12/4/18

महाशय,

सादर सूचित करना है कि श्री लालदेव महतो द्वारा  
प्राप्त अपराध प्रतिवेदन संख्या 1038 दिनांक 11.04.2018 वाली  
अधिसूचित वन में अवैध अतिक्रमण से सम्बन्धित है ।

अभियुक्तों द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 के  
विहार संशोधन अधिनियम के 1990 की धारा 52 के तहत  
जप्ती की कार्रवाई की गई है एवं इसी अधिनियम की धारा 333  
के तहत दौषी, संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध किया है ।

अतः श्री मान से अनुरोध है कि अभियुक्तों के  
विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की कृपाप्रदान की  
जाय । जौंचौपरान्त जौंचप्रतिवेदन समर्पित की जायगी ।

अभियुक्तों का नाम एवं पता -

- (1) देवा महतो पिता हेसराम महतो ।
  - (2) करम महतो पिता कौन्हा महतो ।
  - (3) अकलु महतो पिता जीवलाल महतो ।
  - (4) हिरू महतो पिता चान्दा महतो ।
- सभी ग्राम - गौदलपुरा टीला सिमरा जीह, थाना बड़कापोंज,  
जिला - हजारीवाग ।

Kamla  
12/4/18

अनुसन्ध

- (1) वन अपराध प्रतिवेदन संख्या 1038 दिनांक 11.4.2018 की मूल प्रति
- (11) जप्ती सूची की मूल प्रति ।

आपका विश्वास्य भाजन  
रामचन्द्र प्रसाद  
प्रभासी वनपाल  
12.4.2018  
वन परिसर पदाधिकारी  
जौराकाठ वनपरिसर ।

Schedule XVIII Form No. 21 A

**Forest & Environment Dept. Jharkhand**

No. **1038**

वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड

Division.

हजारिबाग पश्चिमी वन डिवीजन।

Note:- This report is to be submitted within 24 hours of the detection

नोट :- यह रिपोर्ट पकड़े जाने के 24 घण्टे के अन्दर दाखिल करना चाहिये।

Offence report No.....

थाना - बड़कापौर

Date..11.04.2018

जूम नम्बर.....

तारीख.....

1. Place of occurrence -

घटना स्थल- गाखी अधिसूचित वन में अर्बन अतिक्रमण के जूम में।

2. Date and hour of detection -

पकड़ने का समय और तारीख- लगभग 10 बजे 8 अप्रैल दिनांक 11.04.2018.

3. Name (s) parentage and residence of offenders -

(1) देवा महेता पिता हेराम महेता  
(2) करम महेता पिता कौल्ला महेता  
(3) अकलु महेता पिता जीवलाल महेता  
(4) हिरु महेता पिता चम्पा महेता  
नाम अपराधी और उसके पिता का नाम और पता- सभी ग्रामगोदलापुरा, टोला-सिन्धुडाई थाना-बड़कापौर, जिला-इजरीवाग।

4. Property seized, if any-

जप्ती माल, अगर कोई- हल 2, जुवाह 2, थोड़ी एक, कीड़ी एक।

5. Custody of seized, property -

जप्ती माल का जिम्मेवार- वन क्षेत्र कार्यालय प्रजाप बड़कापौर

6. Name (s) parentage and residence of witness (es), if any -

नाम गवाह और उसके पिता का नाम और पता-

(1) मौला साहु कारखी बड़कापौर पश्चिम  
(2) केशव महेता वनरही " "  
(3) अवेन्द्र कुमार वनरही " "

7. Nature of offence and facts of the case-

तफसील और बयान जूम - भारतीय वन अधिनियम 1927 के विहार संशोधन अधिनियम 1990 की धारा 33, 33C एवं 33D के तहत।  
Hazaribag West Div./200....

सेवा में,  
वन क्षेत्र पदाधिकारी,  
पत्रकारों के वन प्रदेस।

महाराज,

सविनय निवेदन यह है कि दिनांक दिनांक 11.04.2018 को प्रकृत सुबह  
दुपहर सुचिना प्राप्त हुआ कि गांधी अधिसूचित वन में अविचारी तरीके से जंगल के जमीन  
को जोत कोट कर रहे हैं इस दुष्ट सूचना के आधार पर अपने सहयोगी फर शही  
के साथ गांधी अधिसूचित वन आसरी करके वलें जो उल्टे फलें पा जा वह फल नाम  
अंकित हैं। करीब 9 वजे गांधी जंगल से कुछ दूर पर ही थे कि वे लोग जंगल का  
जोत कोट कर रहे हैं करीब 10 वजे घना जंगल पा पहुंचे तो दूर से ही उमली गौरी को  
देख लिया और जंगल के लोच काले लोच अभियुक्त गण भागन लगे हम लोच  
अभियुक्त गणों पकड़ना चाहें परन्तु जंगल काड़ी को लाभ उठाकर भागन में सफल  
हो गये भागन समय सभी अपराधियों को पकड़ाने लिया गया एवं नाम पता लिखा।  
इसके उपरान्त जंगल जंगल पा गया तो दो लक्ष दो जुवाह एक कोड़ी एवं एक कोड़ी  
को जंगल जंगल पा जंगल कर जंगली लुची बनाया स्थानीय अभियुक्त जंगल जंगल पा पहुंच  
गये जंगल जंगल से पुल्ले गल्ले किया तो इन्हीं उल्टे फलें पर लिखे अभियुक्त का नाम वताया  
स्थानीय अभियुक्त की पहचान से प्लान्टेबुल लगाकर गांधी अधिसूचित वन का  
सर्वे किया तो प्लान्टे नं० 425 में जोत कोट किया गया इस तरह अभियुक्त जंगल  
जंगली जंगल का जोत कोट अविचारी तरीके से कर रहे पाये गये। अभियुक्त गण  
जंगल जंगल का जोत कोट जंगल के विचारा लगे के लिए किया है।  
जो भारतीय वन अधिनियम 1927 के धिहार संशोधन अधिनियम 1990 की  
धारा 52 के तहत उल्टे फलें पालिसे सभी उपकरणों की जप्त कर जंगली सूचि  
बनाया कि इसी अधिनियम की धारा 33 एवं 33C के तहत दोषी संशोधन एवं  
आजमानगीय अपराध किया गया है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि जांच कर कड़ी से कड़ी कानूनी  
कानूनी करवाई करने की कृपा प्रधान की जगह ताकि जंगलों की सुरक्षा  
कि जा सके।

वन की क्षति

करीब 2 एकड़ वन भूमि जोत कोट।  
काड़ी पकड़ने से लगाड़ी।

श्रीमान का विवेकशील

माल देव मन्त्री  
वन रक्षक  
पत्रकारों के वन प्रदेस  
11.04.2018

वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार  
जप्ती सूची

1) जप्ती का समय एवं तिथि लगभग 10 वजे अपराहन दिनांक 11.04.2018

2) जप्त स्थल का विवरण गांधी अभियुक्तित वन में अंधा अतिक्रमण के पूर्व में

3) जप्त संपत्ति/ पदार्थ का संक्षिप्त विवरण हल दो, जुवाठ दो, टेंगी एक, कीड़ी एक

4) गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम और पूरा पता

फरार (1) देवा महरा पिता हेसराम महरा

(2) करम महरा पिता कीछा महरा

(3) अकलु महरा पिता जीवलास महरा

(4) हीरू महरा पिता - चान्दा महरा

समीग्राम - गौडलपुरा, टीलासिमराडीह, थाना - वडकागाँव, जिला - हजारीबाग

5) अधिनियम एवं धारा का वर्णन भारतीय वन अधिनियम 1927 के विहार  
अंशो धान अधिनियम 1990 की धारा 33, 33C एवं 52 के तहत

6) गवाहों के नाम व पूरा पता एवं हस्ताक्षर

(1) भोला साहु वनरही वडकागाँव प्रखंड । Bholu Sahu (F.G.) 11-04-2018

(2) केशव महरा " " " । Keshav Mahato (F.G.) 11-04-2018

~~(3) भूपेन्द्र कुमार " " " ।~~

(4) भूपेन्द्र कुमार वनरही " " । Bhupendra Kumar (F.G.) 11.04.2018

7) जप्त संपत्ति की अभिरक्षा वन क्षेत्र कार्यलय प्राणज वडकागाँव प्रखंड ।

8) जप्त पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर मालदेव महरा वन रक्षी  
वडकागाँव प्रखंड  
11.04.2018

कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी, जोराकाठ वन परिसर।

पत्रांक-

दिनांक-

सेवा में,

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,  
न्यायालय, हजारीबाग।

विषय:-

वन अपराध प्रतिवेदन संख्या- 4752 दिनांक- 23.08.2023 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

सादर सूचित करना है कि श्री मृणाल भास्कर, वनरक्षी द्वारा प्राप्त वन अपराध प्रतिवेदन संख्या- 4752 दिनांक- 23.08.2023 गोन्दलपुरा अधिसूचित वन में अवैध अतिक्रमण के संबंध में।

अभियुक्तों द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 के बिहार वन संशोधन अधिनियम 1989 की धारा 33 के तहत दोषी संज्ञेय एवं अजामानतीय अपराध किया गया है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाय। विस्तृत अभियोजन प्रतिवेदन पूर्ण जाँचोपरान्त समर्पित की जायगी।

अभियुक्तों का नाम पता:-

क्र०सं०	नाम	पिता का नाम	ग्राम	थाना	जिला
1.	कृष्णा राणा	स्व० दशरथ राणा	गोन्दलपुरा	केरेडारी	हजारीबाग
2.	कृष्णा यादव	फगुन यादव	गोन्दलपुरा	केरेडारी	हजारीबाग
3.	मेघन महतो	स्व० चांदी महतो	गोन्दलपुरा	केरेडारी	हजारीबाग
4.	बिन्दु राणा	स्व० कोल्हा राणा	गोन्दलपुरा	केरेडारी	हजारीबाग
5.	अशोक यादव	स्व० मुतर गोप	गोन्दलपुरा	केरेडारी	हजारीबाग
6.	सिकन्दर महतो	स्व० रामदयाल महतो	गोन्दलपुरा	केरेडारी	हजारीबाग
7.	रामचरण महतो	स्व० जेटु महतो	गोन्दलपुरा	केरेडारी	हजारीबाग

अनुलग्नक:-

- (1) वन अपराध प्रतिवेदन संख्या- 4752 दिनांक- 23.08.2023 की मूल प्रति।
- (2) घटना स्थल का फोटो।


आपका विश्वासी  
ह०-

ज्ञापांक- 25

दिनांक- 25-08-2023

प्रतिलिपि- प्राधिकृत पदाधिकारी-सह-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल के सेवा में आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुलग्नक सहित समर्पित।

आपका विश्वासी


  
25/08/2023

प्रभारी वनपाल

जोराकाठ वन परिसर

Forest, Environment & Climate Change Dept. Jharkhand  
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड

I.ZB/W./No. 4752

थाना बड़कागाँव

..... Division.

हजारीबाग पश्चिमी डिवीजन

Receive

Danu Kumar  
24/08/2023

Note:- This is to be submitted within 24 hours of the detection.

नोट :- यह रिपोर्ट पकड़े जाने के 24 घण्टे के अन्दर दाखिल करना चाहिये।  
जुआरी कन्या, जोराकाँठ की चारख

Offence report No. ....

Date .....

जुर्म नम्बर .....

दिनांक 23/08/23

1. Place of occurrence - गोदबपुरा अधिशुचित वन  
घटना स्थल -

2. Date and hour of detection - समग्र लगभग 11:30 बजे पूर्वाह्न में, दिनांक 23-08-2023 के  
पकड़ने का समय और तारीख -

3. Name(s) parentage and residence of offenders -  
नाम अपराधी और उसके पिता का नाम और पता -  
i) कृष्णा शर्मा, पिता - स्व. दशरथ शर्मा  
ii) कृष्णा शर्मा, पिता - जगुन गोप  
iii) मेघन महतो, पिता - स्व. चौबी महतो  
iv) विन्दु शर्मा, पिता - स्व. कोल्हा शर्मा  
v) अशोक शर्मा, पिता - स्व. मुत्तू गोप  
vi) शिखर महतो, पिता - स्व. रामकृष्ण महतो  
vii) रामचरण महतो, पिता - स्व. जेठा महतो  
सभी का नाम - गोदबपुरा, थाना - बड़कागाँव, (हजारीबाग)

4. Property seized, if any -  
जपती माल, अगर कोई - X

5. Custody of seized, property -  
जपती माल का जिम्मेवार - X

6. Name(s) parentage and residence of witness (es), if any -  
नाम गवाह और उसके पिता का नाम और पता -  
1) मृगाल मारकर  
2) संतु कुमार  
3) शिवाजी कुमार शर्मा  
4) कृष्णा शर्मा महतो  
सभी वनरक्षी, बड़कागाँव वन प्रहरी

7. Nature of offence and facts of the case -  
तफसील और बयान जुर्म - भारतीय वन अधिनियम 1927 के विहार वन संशोधन अधिनियम 1989 की धारा 33 के तहत।

शेरा में,  
वन परिशर पदाधिकारी  
पोराकाठ वन परिशर

महाशय,

आदर धिरोट करना है कि दिनांक 23/08/2023, 11:30 बजे  
पूरीहन में अपने नवपदस्थापन हाई वन उप परिशर में सहयोगी वनकर्मियों  
के साथ राशती के दौरान सुचना प्राप्त हुई कि जॉन्वपुरा अधिभुक्ति  
वन जोमा के अन्दर वन भुमी पर जात-कोड़ किया जा रहा है। सुचना  
के आधार पर सहयोगी वनकर्मियों के साथ घटना स्थल पहुँचा। वन  
महान्त कार्ययत्र के जॉन्वपुरा अधिभुक्ति वनक्षेत्र के अनुसार देखा  
कि करीब 18 एकड़ वनभुमी पर श्वेती कि जा रही है। घटना स्थल  
का मुआयना करने पर वहाँ कोई भी उपस्थित नहीं पाया। तत्पश्चात  
घटना स्थल के आगगास उपस्थित जामोणों तथा मुत्तो से पुक्क  
पानकारी प्राप्त हुई कि यह जात-कोड़ पिक्की कई वर्षों से किया  
जा रहा है तथा पिक्की भूठ पर निरते जमे लोंगों के द्वारा यह  
जात-कोड़ किया गया है। सुचना के आधार पर पिक्की भूठ  
पर अंकित अधिभुक्तों को आमामद किया गया।

अधिभुक्तों ने नारतीय वन अधिनियम 1927 के  
विहार वन संशोधन अधिनियम 1989 की धारा 33 का  
ठलसंधान किया है जो कि अंजिय एम् दंडनीय अपराध है।  
अतः श्रीमान से अनुरोध है कि अधिभुक्तों के  
विरुद्ध अचित कानुनी कार्यवाही करने कि कृपा कि जाए।

वन मुर्मा कि हाती :-

लगभग 18 एकड़ में  
अतिक्रमित श्वेत।

आपका विश्वासी

मृगाम भारकर

वनरक्षी

हाई उप-वन परिशर

23-08-2023

P-33  
30/09/2024

Complain Case - 2676/2023

**कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी, जोराकाठ वन परिसर।**

पत्रांक-

दिनांक-

सेवा में,

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,  
न्यायालय, हजारीबाग।

विषय:-

वन अपराध प्रतिवेदन संख्या- 4753 दिनांक- 28.08.2023 के तहत प्राथिमिकी दर्ज करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

सादर सूचित करना है कि श्री मृणाल भास्कर, वनरक्षी द्वारा प्राप्त वन अपराध प्रतिवेदन संख्या- 4753 दिनांक- 28.08.2023 गोनदलपुरा अधिसूचित वन क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण करने के जुर्म से सम्बन्धित है।

अभियुक्तों द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 के बिहार वन संशोधन अधिनियम 1989 की धारा 33 के तहत दोषी संज्ञेय एवं अजामानतीय अपराध किया गया है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाय। विस्तृत अभियोजन प्रतिवेदन पूर्ण जाँचोपरान्त समर्पित की जायगी।

**अभियुक्तों का नाम पता:-**

क्र०सं०	नाम	पिता का नाम	ग्राम	थाना	जिला
1.	भीम महतो	स्व० खेदन महतो	गोनदलपुरा	बड़कागाँव	हजारीबाग
2.	नकुल महतो	स्व० खेदन महतो	गोनदलपुरा	बड़कागाँव	हजारीबाग
3.	अर्जुन महतो	स्व० खेदन महतो	गोनदलपुरा	बड़कागाँव	हजारीबाग
4.	बिन्देश्वर महतो	मिथु महतो	गोनदलपुरा	बड़कागाँव	हजारीबाग
5.	धर्मनाथ दांगी	मिथु महतो	गोनदलपुरा	बड़कागाँव	हजारीबाग
6.	दिपक कुमार दांगी	मिथु महतो	गोनदलपुरा	बड़कागाँव	हजारीबाग
7.	सुलेन्दर महतो	स्व० लखन महतो	गोनदलपुरा	बड़कागाँव	हजारीबाग
8.	सल्लु महतो	स्व० लखन महतो	गोनदलपुरा	बड़कागाँव	हजारीबाग
9.	लल्लु महतो	स्व० लखन महतो	गोनदलपुरा	बड़कागाँव	हजारीबाग
10.	रामचरण महतो	स्व० जेठा महतो	गोनदलपुरा	बड़कागाँव	हजारीबाग

**अनुलग्नक:-**

(1.) वन अपराध प्रतिवेदन संख्या- 4753 दिनांक- 28.08.2023 की मूल प्रति।


आपका विश्वासी  
ह०-

ज्ञापांक- 01

दिनांक- 29/08/23

प्रतिलिपि- प्राधिकृत पदाधिकारी-सह-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल के सेवा में आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुलग्नक सहित समर्पित।

आपका विश्वासी

  
प्रकाश वनपाल  
जोराकाठ वन परिसर

## Forest, Environment &amp; Climate Change Dept. Jharkhand

## वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड

HZB/W./No. 4753

थाना बड़कागाँव

..... Division.

हज़ारीबाग पश्चिमी डिवीजन

Note:- This is to be submitted within 24 hours of the detection.

नोट :- यह रिपोर्ट पकड़े जाने के 24 घण्टे के अन्दर दाखिल करना चाहिये।

Offence report No. ....

Date .....

जूम नम्बर .....

दिनांक 28/08/23

1. Place of occurrence -  
घटना स्थल -

गौदमपुरा अधिसूचित वन

2. Date and hour of detection -  
पकड़ने का समय और तारीख -

समग्र वनाभंग 10:45 बजे पूर्वाह्न दिनांक 28/08/2023

3. Name(s) parentage and residence of offenders -  
नाम अपराधी और उसके पिता का नाम और पता -

- i) भीम महतो, पिता - स्व. शैलेंद्र महतो
- ii) नकुल महतो, पिता - स्व. शैलेंद्र महतो
- iii) अर्जुन महतो, पिता - स्व. शैलेंद्र महतो
- iv) किशोर्देव महतो, पिता - भिरु महतो
- v) शर्मिष्ठा दाँगी, पिता - भिरु महतो
- vi) दिपक कुमार दाँगी, पिता - भिरु महतो
- vii) सुबेन्द्र महतो, पिता - स्व. यशवंत महतो
- viii) अणु महतो, पिता - स्व. यशवंत महतो
- ix) अणु महतो, पिता - स्व. यशवंत महतो
- x) रामचरण महतो, पिता - स्व. यशवंत महतो

4. Property seized, if any -  
जप्ती माल, अगर कोई -

X सभी का साम - गौदमपुरा, थाना - बड़कागाँव (हज़ारीबाग)

5. Custody of seized, property - X  
जप्ती माल का जिम्मेवार -6. Name(s) parentage and residence of witness (es), if any -  
नाम गवाह और उसके पिता का नाम और पता -

- i) तुलसी मोस्कर
- ii) जगन्नाथ शर्मा
- iii) देवी महतो
- iv) विनोद बेसरा
- v) नाथीर कुर्सेन

} सभी तन्त्रकी बड़कागाँव प्रहरी

7. Nature of offence and facts of the case -  
तफसील और बयान जूम -

भारतीय वन अधिनियम 1927 के विहार वन संशोधन अधिनियम 1989 की धारा 33 के तहत।

जेता मै,

वन परिभर पदाधिकारी  
जोगकाठ वन परिभर

महाशय,

सादर रिपोर्ट करना है कि दिनांक 28/08/23, 10:45 बजे पूर्वाह्न में अपने सहश्रेणी वनकर्मियों के साथ जोगकाठपुरा अधिभूत वन जगत भुजना के आकार पर वन सीमा के अंतर्गत वन भूमी पर जोत-कोड़ कि जांच हेतु पहुँचा। वन सक्षेत्र लड़कागाँव कार्यलय के जोगकाठपुरा अधिभूत वनक्षेत्र के अन्तर्गत के अनुसार देखने की क्रम 20 एकड़ वनभूमी पर जेतो कि जा रही है। दायरे अन्तर्गत का कु मुआयना करने पर वहाँ कोई भी आश्रित नहीं पाया। उपस्थित आसपास के श्राद्धों तथा जुते से पुष्कल करने पर पानकजि प्राप्त हुई कि यह जोत-कोड़ पहिले कई वर्षों से पहिले पूर्व पर अंकित व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। भुजना के आकार पहिले पूर्व पर अंकित अभियुक्तों को नामापद किया गया।

अभियुक्तों ने भारतीय वन अधिनियम 1924 के विहार वन अधिनियम अधिनियम 1959 की धारा 33 का उल्लंघन किया है जो कि गंजैय एम्प दंडयोग लागू है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि नामापद अभियुक्तों के विरुद्ध अन्त वनभूमी कार्यलय करने कि कृपा की जाए।

वनभूमी कि दस्ता :-

ने लगभग 20 एकड़ में  
अर्ध अतिक्रमित जेतो।

आपका विश्वासी

मृणाल भास्कर

हाई अ-वन परिभर

28/08/2023

पंरक्षी

लड़कागाँव वन सक्षेत्र।

27

कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी, जोराकाठ वन परिसर।

पत्रांक-

दिनांक-

सेवा में,

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,  
न्यायालय, हजारीबाग।

विषय:- वन अपराध प्रतिवेदन संख्या- 4755 दिनांक- 05.09.2023 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

सादर सूचित करना है कि श्री मृणाल भास्कर, वनरक्षी द्वारा प्राप्त वन अपराध प्रतिवेदन संख्या- 4755 दिनांक- 05.09.2023 गोनदलपुरा अधिसूचित वन क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण करने के जुर्म से सम्बन्धित है।

अभियुक्तों द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 के बिहार वन संशोधन अधिनियम 1989 की धारा 33 के तहत दोषी संज्ञेय एवं अजामानतीय अपराध किया गया है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाय। विस्तृत अभियोजन प्रतिवेदन पूर्ण जाँचोपरान्त समर्पित की जायगी।

अभियुक्तों का नाम पता:-

क्र०सं०	नाम	पिता का नाम	ग्राम	थाना	जिला
1.	बिनोद दांगी	रामदयाल महतो	गोनदलपुरा	बड़कागाँव	हजारीबाग
2.	लालदेव गोप	स्व० मुटुर गोप	गोनदलपुरा	बड़कागाँव	हजारीबाग
3.	युगल गोप	स्व० मुटुर गोप	गोनदलपुरा	बड़कागाँव	हजारीबाग
4.	सहदेव गोप	स्व० नारायण गोप	गोनदलपुरा	बड़कागाँव	हजारीबाग
5.	कमल तुरी	ईश्वरी तुरी	गोनदलपुरा	बड़कागाँव	हजारीबाग
6.	रमेश तुरी	स्व० किशुन तुरी	गोनदलपुरा	बड़कागाँव	हजारीबाग
7.	रघु तुरी	स्व० किशुन तुरी	गोनदलपुरा	बड़कागाँव	हजारीबाग
8.	लिटन तुरी	स्व० किशुन तुरी	गोनदलपुरा	बड़कागाँव	हजारीबाग
9.	महेन्द्र यादव	विष्णु गोप	गोनदलपुरा	बड़कागाँव	हजारीबाग
10.	गांगो गोप	विष्णु गोप	गोनदलपुरा	बड़कागाँव	हजारीबाग

अनुलग्नक:-

(1.) वन अपराध प्रतिवेदन संख्या- 4755 दिनांक- 05.09.2023 की मूल प्रति।

27/9/23

आपका विश्वासी

ह०-

ज्ञापांक- 26

दिनांक- 05/09/23

प्रतिलिपि- प्राधिकृत पदाधिकारी-सह-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल के सेवा में आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुलग्नक सहित समर्पित।

आपका विश्वासी

Dantu Kumar  
05/09/2023.प्रमारी वनपाल  
जोराकाठ वन परिसर

Forest, Environment & Climate Change Dept. Jharkhand  
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड

HZB/W./No. 4755

थाना बड़कागाँव

..... Division.

हजारीबाग पश्चिमी डिवीजन

*Dantu James*  
05/09/2023

Note:- This is to be submitted within 24 hours of the detection.

नोट :- यह रिपोर्ट पकड़े जाने के 24 घण्टे के अन्दर दाखिल करना चाहिये।  
नगरी वनमाल, जोरकाठ वन पार्ले

Offence report No. ....

Date .....

जूरम नम्बर .....

दिनांक 05/09/2023

1. Place of occurrence -  
घटना स्थल -

गोदामपुरा अधिसूचित वन

2. Date and hour of detection -  
पकड़ने का समय और तारीख -

समय: लगभग 09:30 बजे पूर्वाह्न दिनांक - 05/09/2023

3. Name(s) parentage and residence of offenders -  
नाम अपराधी और उसके पिता का नाम और पता -

i) विनोद दाँगी - पिता - रामदास महतो  
ii) भावदेव गोप - पिता - स्व. मुद्गर गोप  
iii) युगत गोप - पिता - स्व. मुद्गर गोप  
iv) सहदेव गोप - पिता - स्व. नारायण गोप  
v) कमल दुरी - पिता - ईश्वरी दुरी  
vi) रमेश दुरी - पिता - स्व. किशुन दुरी  
vii) रघु दुरी - पिता - स्व. किशुन दुरी  
viii) निहन दुरी - पिता - स्व. किशुन दुरी  
ix) महेंद्र भादव - पिता - स्व. विष्णु गोप  
x) गंगो गोप - पिता - स्व. विष्णु गोप

अग्नी का नाम - गोदामपुरा, थाना - बड़कागाँव, पिता - हजारी

5. Custody of seized, property -  
जप्ती माल का जिम्मेवार -6. Name(s) parentage and residence of witness (es), if any -  
नाम गवाह और उसके पिता का नाम और पता -

i) अंतु कुमार  
ii) विनोद बंसरा  
iii) कृष्ण प्रसाद महतो  
iv) केशव महतो  
v) संजय कुमार भादव

अग्नी वनरक्षी, बड़कागाँव वन म

7. Nature of offence and facts of the case -  
तफसील और बयान जूरम -

भारतीय वन अधिनियम 1927, के विहार वन संशोधन अधिनियम 19  
के द्वारा उद्घोषित है।

सेवा में,  
वन परिभर पदाधिकारी  
पाराकाठ वन परिभर

महाशय,

साह्य रिपोर्ट करना है कि दिनांक 05/09/2023, करिव 9:30 बजे पूर्वाह्न में अपने सहयोगी कर्मियों के साथ गोंदवापुरा अधिसूचित वन गुप्त सुचना के आधार पर वन सीमा के अंतर्गत वन भूमि पर जाकर कोड़ा कि जांच हेतु पहुँचा। वन प्रक्षेत्र, लडकागाँव कर्मिकेय के गोंदवापुरा अधिसूचित वनक्षेत्र के नक्शा के अनुसार देखा कि करिव 22 एकड़ वनभूमि पर खेती कि जा रही है। घटना स्थल का मुआयना कर पार वहाँ कोई भी उपस्थित नहीं पाया। तत्पश्चात आसपास के शायद तथा सुत्रों से पुष्टताई करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि यह वन कोड़ा पिछले कई वर्षों से पिछले पृष्ठ पर अंकित व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। सुचना के आधार पर पिछले पृष्ठ पर अंकित अभियुक्तों का नाम पद किआ गया।

अभियुक्तों ने राष्ट्रीय वन अधिनियम 1927 के विहा वन संसाधन अधिनियम 1989 कि धारा 33(c) का उल्लंघन किया है जो कि संघीय एवम् देशीय अपराध है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि नाम पद अभियुक्तों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करने कि कृपा कि जाए

वनभूमि कि क्षती:-

⇒ लगभग 22 एकड़ में  
अर्धेष्ट अतिक्रमित खेत।

आपका विश्वासी

~~11/09/23~~ 11/09/23

मृणाल आस्कर

वनरक्षी

हाई उप-वन परिभर

लडकागाँव वन प्रक्षेत्र।

70

कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी, जोराकाठ वन परिसर।

पत्रांक-

दिनांक-

सेवा में,

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,  
न्यायालय, हजारीबाग।

विषय:-

वन अपराध प्रतिवेदन संख्या- 4787 दिनांक- 21.05.2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

सादर सूचित करना है कि श्री मृणाल भास्कर, वनरक्षी द्वारा प्राप्त वन अपराध प्रतिवेदन संख्या- 4787 दिनांक- 21.05.2025 गाली अधिसूचित वन के वनभूमि से अवैध मिट्टी का उत्खनन एवं परिवहन करने के जुर्म।

अभियुक्त द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 के बिहार वन संशोधन अधिनियम 1989 की धारा 33, 33(C), 41, 42 के तहत दोषी संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध किया गया है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि अभियुक्त के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाय। विस्तृत अभियोजन प्रतिवेदन पूर्ण जाँचोपरान्त समर्पित की जायगी।

अभियुक्तों का नाम पता:-

क्र०सं०	नाम	पिता का नाम	ग्राम	थाना	जिला
1.	विकास महतो	स्व० कोमल महतो	गोन्दलपुरा	बड़कागाँव	हजारीबाग

अनुलग्नक:-

(1.) वन अपराध प्रतिवेदन संख्या- 4787 दिनांक- 21.05.2025 की छाया प्रति।

आपका विश्वासी


ह०-

ज्ञापांक- 64

दिनांक- 22/05/2025

प्रतिलिपि- प्राधिकृत पदाधिकारी-सह-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल के सेवा में आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुलग्नक सहित समर्पित।

आपका विश्वासी


प्रभारी वनपाल  
जोराकाठ वन परिसर

Forest, Environment & Climate Change Dept. Jharkhand

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड

Review  
21/05/2025  
21/05/25  
HZB/W./No.

4787

थाना बड़कागाँव

Division.  
हजारिबाग पश्चिमी डिवीजन

Note:- This is to be submitted within 24 hours of the detection.

नोट :- यह रिपोर्ट पकड़े जाने के 24 घण्टे के अन्दर दाखिल करना चाहिये।

Offence report No. ....

Date .....

जूरुम नम्बर .....

दिनांक 21/05/2025

- 1. Place of occurrence - घटना स्थल - गाँव अतिशुक्ति वन से अर्ध वन भूमी से मिट्टी का अन्वयन एवम् पर्यावरण के संरक्षण में।
- 2. Date and hour of detection - पकड़ने का समय और तारीख - दिनांक - 21/05/2025, समय - लगभग 11 बजे दिन में

- 3. Name(s) parentage and residence of offenders - नाम अपराधी और उसके पिता का नाम और पता -  
 (i) विकास महतो, पिता - श्री स्व. कोमल महतो  
 ग्राम - गोडलपुरा, थाना - बड़कागाँव  
 जिला - हजारिबाग

- 4. Property seized, if any - जपती माल, अगर कोई -  
 — X —

- 5. Custody of seized, property - जपती माल का जिम्मेवार -  
 — X —

- 6. Name(s) parentage and residence of witness (es), if any - नाम गवाह और उसके पिता का नाम और पता -  
 + देवचन्द्र महतो, पत्नी,  
 बड़कागाँव वन प्रकृत

- 7. Nature of offence and facts of the case - तफसील और बयान जूरुम - भारतीय वन अधिनियम 1927 के विहार वन संशोधन अधिनियम 1989 के तहत धारा 33, 33(A), 41 एवम् 42।

सेवा में,

वन परिसर पदाधिकारी  
जोगकाठ वन परिसर

महाशय,

सादर रिपोर्ट करना है कि दिनांक 25/05/2023  
का लगभग दिन में 11:00 बजे अपने भागी वनरक्षी  
के साथ गामी आवासस्थित वन गच्छित करते हुए  
विभागीय मोटरसाइकल से पहुँचा। जहाँ हमने देखा  
कि वन भूमी में मिट्टी का अखनन किया गया है एवं  
रूबर के पहियों का मिश्रण बना हुआ है। जिसके  
बाद आसपास के वनभूमी एवं चारों ओर से पुस्तक करने  
पर पानकारी प्राप्त हुई जो वन भूमी से कठित कीमती  
भूमी में मिट्टी का अखनन कर परिष्कृत किया जा  
रहा है जिसके आधार पर चीमनी गेहूँ के मालीक को  
पिछले मूठ पञ्चित नाम को अभिभुक्त लगाया गया है।

अतः श्रीमान से सादर अनुरोध है उपरोक्त  
घटना में अभिभुक्त के द्वारा भारतीय वन अधिनियम  
1927 के अंतर्गत विधल वन संशोधन अधिनियम 1989  
की धारा 33, 33(c)। पा एवं 42 की धारा के  
अंतर्गत उचित ध्यान से अनुकी अर्थात् यह कि  
रूपा कि जाए !

यहाँ कि शर्ती :-

लगभग 8 से 10 डीसमल  
वन भूमी कि जारी जंगल  
सफाई एवं मिट्टी का  
अखनन ।

विजयल भाष्यन  
~~Prastaf~~  
मृणाल भास्कर भास्कर  
वनरक्षी  
वडागाँव वन प्रभेत